

No 271491 Himachal Government Judicial Paper

बैलाबा

महियती = 4000/- अस्थाप्य = 320/- अस्थाप्य जिला उस्तर 48 इकाय 480
किमत पारसी मु० 3799/- 62 पैसे

यह विक्रय बिलेख आज दिनांक 11 मार्च 1991 को श्याम लाल उमर 32 साल, सोहन लाल उमर 30 साल, शेखान लाल उमर 28 साल पुजाग वा कुमारी निर्मला देवी उमर 20 साल, श्रीमति सरस्वती देवी उमर 38 साल, श्रीमति सुपरी देवी उमर 34 साल पुत्रीयां श्रीमति कला पुत्री कापूर साकिनान वडवरी शाहमा परगना वसियां उ०-तहसील छुलगाट वजरिया सुरवरपर जाम श्री प्रभू राम पुत्र कापूर साकिन शेरला परगना खण्ड उ०-तहसील छुलगाट जेकि डीड न० 45 दिनांक 19 जून 1990 को अदालत सवर्जिस्ट्रार साहन कसौली से तस्दीक हुआ है। वा श्री वरु सिंह पुत्र श्रीमति काला उमर 22 साल साकिन वडवरी शाहमा उ०-तहसील छुलगाट जिला सोलन डि० 50 जिन्हे पहले पद से विक्रेतागण कहा गया है। वा श्री वावू राम, प्रेम लाल, रामलोक, सुदाम राम, राजेश पुजाग श्री प्रभू राम वाहिल्ला बराबर साकिनान शेरला परगना खण्ड उ०-तहसील छुलगाट जिला सोलन डि० 50 जिन्हे हजेके उपरान्त विक्रेतागण कहा गया है।

यह कि विक्रेतागण ने कंपनी भूमि रेवेन्यू/सर्वेनी न० 12/14 जिला 6 इकाय तादादी 46 बिघा 10 पिसवा वा 1/12 इकाय इकाय 3 बिघा 17 पिसवा जिसकी जमाल जमाबंदी साल 1988-89 साहगांन है। वाका जैज शेरला परगना खण्ड उ०-तहसील

डीएट 2

Dharam Singh

L.T.
प्रभू

पंजीकरण
कृष्णगढ़

Sub-Registrar
Krishnagarh, District Solan (H.P.)

₹ 4000/-

अल्प 320

पंजीकरण
यह विलेख ...
नियम ... परगना ... उप तहसील
कृष्णगढ़ ने आज दिनांक ... तदनुसार
... को मेरे कार्यालय में पंजीकरण
हेतु पेश किया

पंजीकरण


LT,
प्रभु

Dharam Singh

इस विलेख पर ... कर - चन्द ...
को निम्न लिखित ... के समक्ष पढ़ कर
सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझ
कर उस ने इस के निष्पादन को सहो स्वीकार
किया।

पंजीकर्ता ने ₹ 4000/- को पहले ही क्रिया ने
प्राप्त करने स्वीकार किया कि मुझे ...
(... ..) हथियार ... के
हो ... जिसे विक्रेता ने वसूल कर लेना
स्वीकार किया।

श्री ... ने मैं स्वयं परिचित हु
... पहचान
... है ...


Sub-Registrar
Krishnagarh, District Solan (H.P.)

21/12/20

गवाह 201



Dharam Singh

पंजीकरण

21/12/20
गवाह 202

----- 2 -----

कुलगाव जिला सोलन के विज्ञेय नरमे का सीदा अंतगण के साथ मु० ५०००/- रु० (पाच हजार रु०) मे कर लिया है। जिसेके निलम्प मु० २०००/- रु० (दो हजार रु०) होते है। विज्ञेयतागण मे पूरी भाडो पहले ही वसूल पा ली है। बाकि लेखे को कुल नही रहा है।

वह कि विज्ञेयतागण मे बापनी भूमि उदिच्या १७ दिवस का सीदा अंतगण मे मु० ५०००/- रु० के स्वातन्त्र स्वामित्व पर उल बासु प्रसादा मुख मोग अधिकातर साबनाही साबनाही परादे अटादे वन साबनादे तथा साबना अधिकातर जो भी विज्ञेयतागण को उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध मे है। या होते है। वह पूरी विज्ञेय रूप मे हमेसा के लिए अंतगण के पर मे हस्तागत कर दिये है। अब अंतगण उपरोक्त भूमि के अधिकार को बाधना जारी है। जिन्को उपरोक्त भूमि बेचने वरुन का दिवस आवि आने का पूर्ण अधिकार उपा वसता है। अंतगण को अंका पर बाधना दे दिया गया है। फगर किसी वरुन मे कलुका उपा या किसी मुली से अंतगण के बाधना तथा अधिकार से निवृत्त जोडे। जो ऐसी साबना मे विज्ञेयतागण अंतगण को हकि बापनी सम्बन्ध से पूरा करने के

बीर ----- 3 -----

Shalam Singh

L.T.
३३

प्रमाणित किया जाता है कि बिलेख सं० २५
 दिनांक 15.3.91 पंजीकृत हो कर वही सं० 1.....
 के खण्ड सं० 1..... के पृष्ठ सं० 99..... पर
 दर्ज हुआ तथा प्रति अतिरिक्त वही सं० 1.....
 के भाग संख्या 8..... के पेज न० 7.....
 से 11..... तक नरपा किये गये तथा अन्व
 कागजात अन्वयक वही संख्या के पृष्ठ न० 3 के पत्र
 न० 51..... तक नरपा किये गये ।

(Handwritten Signature)

Sub-Registrar

Krishangarh, District Solan (H.P.)

[Faint, illegible text, possibly bleed-through or ghosting from the reverse side of the page]

..... 3


जिम्मेदार होंगे। विक्रेतागण यह भी विवक्षित करते हैं कि उपरोक्त भूमि हर प्रकार से साफ वा पाक है। तथा विक्रेतागण यह भी लिखा देते हैं कि उसका कब उपरोक्त भूमि पर उनके किसी वारिस उत्तराधिकारी का कोई वास्तव नहीं होगा।

यह कि विक्रेते विक्रेत के प्रयोग किये गये शब्द विक्रेतागण वा श्रेतागण के अनिश्चित अर्थों के लिए उत्तराधिकारी की सम्पत्ति सम्भल जावेगे। अतः विक्रेतागण के पक्षों तब तक की पूर्ण स्वतन्त्र शब्द वा तथा स्वतन्त्र शब्दों से किन्तु हस्ताक्षर करने वाले प्राचीनों की मौजूदगी के हस्ताक्षर कर दिये हैं कि प्रमाणित रहे कजमुन विक्रेते विक्रेत पर कर सुनाया वा सम्भाला गया तिसरे सुन वा सम्भल कर सही माना दिनांक ॥ मार्च १९९१

गवाह नं० १. Madan Lal

विक्रेतागण

राम चरण प्रधान गहन पंचायत
पञ्जाबी उम. नं० १२७७७



L. 71

गवाह नं० २. Shalaram Singh

प्रश्न

साक्षात् १९९० नं० १२७७७
पञ्जाबी उम. नं० १२७७७

Madan Lal

Document W. No. KARALI (1991)

Dated 11/3/91

No 136.

① B. L. S.

Sub-Registrar
Krishanpur, District Solan (H.P.)

in the name of

1877

for the

of the

इन्तखाव बनावदी/मिस्ल-हकीयत दावत साब जो मुसम्मी

1988-89

मोबा शेखर की इसकी दरखास्त पर दी गई इन्तजाव बाबरी मुफ्तदान

तफ्तीख खेत हाथ

नम्बर खासा खतीनी	वाम तरफ या पती	नाम माखिक व ऐहवाब	नाम फास्त-कार व ऐह-कस	नाम बाह वा दीपर व समय बावपाची	नम्बर खतरा			किस्म धराची	समान	मास	रकबा
					साबिक	हास	रकबा				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12/14		श्यामलाल का शेत	साहेबलाल का शेत	धर्मसिंह							
		शेखरलाल	शेखरलाल	शेखरलाल							
		पुत्रव शोकती	मिमला देवी	सररशुती देवी							
		सु-इप देवी	पुर्गापा का शेत	माला पुर्गा							
		कपूर सकका	(12) वारड	का							
<p>मैं तस्वीक करता हूँ कि इन्तजाव वस्फ कामवात सही धीर वस्त है। उजस्त वसुन मुदा प्रलबद ता 8/3/91</p> <p>शेखरलाल</p> <p>3 नो 2 नकल का नो मिले के सवकाली करे है</p> <p>शेखरलाल - साहेबलाल - धर्मसिंह - शेखरलाल पुत्रव शोकती - मिमला देवी - सररशुती देवी - सु-इप देवी पुर्गापा का शेत - माला पुर्गा - कपूर सकका - (12) वारड - का</p> <p>न से जिला रकबा जम</p> <p>12/14</p> <p>3-17 0-41</p> <p>379962</p>											

कृषक प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सन श्री बाबू राम प्रेमचन्द -
राजलोक - सुदामा राम - राजेश पुत्र प्रमुख ग्राम
शेनवा उप तहसील जिला सोलन हि.प्र. के
निवासी हैं। इनके पिता श्री प्रभुराम के
नाम नामजात माल मीना शेरमा के मजदूर
3-3 बीघा व गैर मजदूरों को बनप किया कुल
8-17 बीघा भूमा मलकीपती हैं। अतः
श्री बाबू राम ऊर्ध्व उपरोक्त कृषक के परि-

माला के होते हैं।

Sub-Registrar
Krishnagarh, District Solan (H.P.)

श्री बाबू राम
पटवा रा जापल
सत ११
8-8-११

5/11/11
11/11/11

11/11/11
11/11/11
11/11/11
11/11/11
11/11/11